कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 1850 /XXV– 12 (P-IV) / 2008 देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर , 2014

URGENT-IMPORTANT

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर
देहरादून।

विषयः– अपील संख्या–A(D).16123/2014 श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में मा0 आयोग को आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1439 दिनांक 04.12.2014 के साथ प्राप्त अपील संख्या– A(D).16123/2014 श्री हर्ष रतूड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड पर पारित मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, के आदेश दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि मा0 सूचना आयोग के आदेशानुपालन में श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिसमें उक्त दोनों कार्मिकों के द्वारा सूचना अधिकारी सम्बन्धी उक्त आवेदन पत्र एवं प्रथम अपील प्रार्थना पत्र संबंधित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है।

3– यह भी अवगत कराना है कि श्री बसंत सिंह रावत दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 से 17 दिसम्बर, 2014 तक उपार्जित अवकाश पर होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के क्रम में अब तीनों कार्मिकों के संयुक्त रूप से बयान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है और तीनों कार्मिकों से बयान प्राप्त करने के उपरान्त एक सप्ताह अन्दर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या से मा. आयोग को अवगत करा दिया जायेगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 1539/ /(अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक 04.12 ,2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 03/12/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

3/12/14

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।

संलग्न : यथोपरि।

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

श्री सेमवाल

कृ. शीघ्र

S.C

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

दिनांक 20/11/14 को लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि वह अपने स्तर से जी.पी.ओ. देहरादून से ज्ञात करें कि अपीलकर्ता द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित अनुरोध पत्र तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को सम्बोधित प्रथम अपील सम्बन्धी पत्रों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कब प्राप्त कराया गया था.

2. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि दोनों पत्रों की कार्यालय में प्राप्ति सम्बन्धी अभिलेख डाक विभाग से प्राप्त किये गये हैं तथा सम्बन्धित कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है.

3. श्रीमती सौजन्या, सयुंक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी लिखित आख्या दिनांक 02/12/14 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सम्बन्धित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है.

4. यह स्थिति संतोषजनक नहीं है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार सम्बन्धी अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपील के पत्रों को डाक विभाग से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले कार्मिक श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बसन्त सिंह रावत, प्रवर सहायक के विरूद्ध कार्यवाही कर दिनांक 19/12/14 को इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

5. यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री बसन्त सिंह रावत, प्रवर सहायक को ऐसी लापरवाही के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के द्वारा दण्डित भी किया जा चुका है, तथा एक ही कर्मचारी के द्वारा बार–बार ऐसी लापरवाही किया जाना नितान्त गम्भीर है.

6. पत्रावली दिनांक 19/12/2014 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत हो.

03/12/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
03.12.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार से है कि सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के आवेदन पत्र के स्पीड पोस्ट लिफाफे **संख्या–EVS507799116IN की प्राप्ति मेरे द्वारा की गई और उसी समय आवेदन पत्र को मेरे द्वारा मूल में सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। श्री सेमवाल के द्वारा ही उक्त प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना था।**

महोदया कार्यालय के एक जिम्मेदार कार्मिक के रूप में मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र को डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत लिफाफे की प्राप्ति की गई थी। तदोपरान्त मेरे द्वारा उसी समय उक्त आवेदन–पत्र को श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करा दी गई थी।

महोदया कार्यालय आदेश संख्या–1798/XXV-66(1–5)/2009 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में तद्नुसार स्पष्टीकरण महोदया की सेवा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रार्थीः–

B. S. Rawat
18-12-2014

(बसन्त सिंह रावत)
प्रवर सहायक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में ,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूडी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के आवेदन पत्र की प्राप्ति मेरे द्वारा की गई एवं आवेदन पत्र को मेरे द्वारा मूल में सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। क्योकि मूल में कार्यालय में कोई डाक पंजीका नही है जिसमें व्यक्तिगत रूप से डाक प्राप्ति कि जाए इसलिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक को उपलब्ध करवाया गया था। श्री सेमवाल के द्वारा ही उक्त प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

महोदया कार्यालय आदेष संख्या–1798/XXV-66(1–5)/2009 दिनांक 2 दिसम्बर,2014 के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री हर्ष रतूडी के सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण कार्यालय के पटल सहायक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक के द्वारा किया जाना था।

महोदया कार्यालय के एक जिम्मेदार कार्मिक के रूप में मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र को डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत लिफाफे की प्राप्ति की गई थी। तदोप्रान्त मेरे द्वारा उक्त आवेदन को श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करा दी गई थी।

प्रथीः–

(हिमांशु नेगी)
कनिष्ठ सहायक,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाषः0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक : 14391/(अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक 04.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 03/12/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न : यथोपरि।

4/12.14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

दिनांक 20/11/14 को लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि वह अपने स्तर से जी.पी.ओ. देहरादून से ज्ञात करें कि अपीलकर्ता द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित अनुरोध पत्र तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को सम्बोधित प्रथम अपील सम्बन्धी पत्रों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कब प्राप्त कराया गया था.

2. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि दोनों पत्रों की कार्यालय में प्राप्ति सम्बन्धी अभिलेख डाक विभाग से प्राप्त किये गये हैं तथा सम्बन्धित कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है.

3. श्रीमती सौजन्या, सयुंक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी लिखित आख्या दिनांक 02/12/14 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सम्बन्धित कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है.

4. यह स्थिति संतोषजनक नहीं है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार सम्बन्धी अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपील के पत्रों को डाक विभाग से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले कार्मिक श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक एवं श्री बसन्त सिंह रावत, प्रवर सहायक के विरूद्ध कार्यवाही कर दिनांक 19/12/14 को इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

5. यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री बसन्त सिंह रावत, प्रवर सहायक को ऐसी लापरवाही के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के द्वारा दण्डित भी किया जा चुका है, तथा एक ही कर्मचारी के द्वारा बार–बार ऐसी लापरवाही किया जाना नितान्त गम्भीर है.

6. पत्रावली दिनांक 19/12/2014 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत हो.

03/12/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
03.12.2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाषः0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक : 14438 (अपील संख्या : A(HR) – 16169 / 2014/ दिनांक 05.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपील संख्या **: A(HR) – 16169 / 2014 : श्री भगवती प्रसाद गोयल** बनाम **लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 03 / 12 / 2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

5/12/14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी, हरिद्वार।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

श्री सेमवाल
कृ. शीघ्र
S.O

अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी हरिद्वार, उत्तरखण्ड।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।
3. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,उत्तराखण्ड़, देहरादून।

उत्तरखण्ड़ सूचना आयोग द्वारा

यह अपील श्री भगवती प्रसाद गोयल के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के विरूद्ध की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है।

2. अपील पर सुनवाई हेतु आयोग द्वारा दिनांक 24.11.2014 को उभय पक्षों को नोटिस दिया गया। आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी, सहायक, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़ उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया। विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है,जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया ।

3. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी,मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से 4 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है, जो उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकरी को संबोधित शिकायती पत्र (डाक रसीद संख्या EU 347850927 IN दिनांक 28.01.2012) पर की गयी कार्यवाही के संबंध में है। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस पर कोई सूचना नहीं दी गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.06.2014 को विभागीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय, देहरादून को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नोटिस प्रेषित किया गया है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड द्वारा उक्त अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित नहीं किया गया और न ही सूचना अपने स्तर से दी गयी है, अतः लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अपील में पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि अधिनियम की धारा 6(1) का स्पष्ट उलंघन करते हुए उनके द्वारा अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र पर सूचना न दिये जाने के कारण क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत क्यों न उनके उच्चाधिकारी को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी जाए? लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 22/02/2014 को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

5. जहां तक प्रथम अपील के निस्तारण का संबंध है, इस संबंध में श्रीमती सौजन्या, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा समय चाहा गया है ताकि डाक विभाग से इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर, वह अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

6. पूर्व में भी प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील उनके कार्यालय में प्राप्त न होने की बात कही गयी थी, जबकि डाक विभाग के उपलब्ध कराये गये प्रमाण से ज्ञात हुआ था कि उक्त अपील उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा ही प्राप्त की गयी है, अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 दिन का समय देते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में डाक विभाग से यह ज्ञात करायें कि क्या अपीलकर्ता के द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दिनांक 02.06.2014 उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं ? यदि अपील उनके कार्यालय में प्राप्त की गयी हो तो दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही कर आयोग के समक्ष सुनवाई की दिनांक 22.12.2014 को प्रस्तुत हो।

7. पत्रावली लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,देहरादून के द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली 22/12/2014 को प्रस्तुत हो।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

03/12/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
03/12/2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाषः0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैबः http://uic.gov.in

पत्रांक :14438 (अपील संख्या : A(HR) – 16169 / 2014/ दिनांक 05.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपील संख्या : **A(HR) – 16169 / 2014 : श्री भगवती प्रसाद गोयल** बनाम **लोक सूचना अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरिद्वार** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 03 / 12 / 2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

05.12.14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी, हरिद्वार।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अपीलकर्ता : श्री भगवती प्रसाद गोयल वरिष्ठ पत्रकार, द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, शिव निवास कालोनी हरिद्वार, उत्तरखण्ड।

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून।
3. लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,उत्तराखण्ड़, देहरादून।

उत्तरखण्ड़ सूचना आयोग द्वारा

यह अपील श्री भगवती प्रसाद गोयल के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के विरूद्ध की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी है।

2. अपील पर सुनवाई हेतु आयोग द्वारा दिनांक 24.11.2014 को उभय पक्षों को नोटिस दिया गया। आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी, सहायक, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड़ उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया। विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है,जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया ।

3. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 16.04.2014 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी,मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड से 4 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है, जो उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकरी को संबोधित शिकायती पत्र (डाक रसीद संख्या EU 347850927 IN दिनांक 28.01.2012) पर की गयी कार्यवाही के संबंध में है। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस पर कोई सूचना नहीं दी गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.06. 2014 को विभागीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय, देहरादून को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नोटिस प्रेषित किया गया है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को प्रेषित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरखण्ड द्वारा उक्त अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित नहीं किया गया और न ही सूचना अपने स्तर से दी गयी है, अतः लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अपील में पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि अधिनियम की धारा 6(1) का स्पष्ट उलंघन करते हुए उनके द्वारा अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र पर सूचना न दिये जाने के कारण क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत क्यों न उनके उच्चाधिकारी को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी जाए? लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 22/02/2014 को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

(10)

5. जहां तक प्रथम अपील के निस्तारण का संबंध है, इस संबंध में श्रीमती सौजन्या, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा समय चाहा गया है ताकि डाक विभाग से इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर, वह अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

6. पूर्व में भी प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील उनके कार्यालय में प्राप्त न होने की बात कही गयी थी, जबकि डाक विभाग के उपलब्ध कराये गये प्रमाण से ज्ञात हुआ था कि उक्त अपील उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा ही प्राप्त की गयी है, अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 10 दिन का समय देते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में डाक विभाग से यह ज्ञात करायें कि क्या अपीलकर्ता के द्वारा प्रेषित प्रथम अपील दिनांक 02.06.2014 उनके कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं ? यदि अपील उनके कार्यालय में प्राप्त की गयी हो तो दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही कर आयोग के समक्ष सुनवाई की दिनांक 22.12.2014 को प्रस्तुत हो।

7. पत्रावली लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,देहरादून के द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली 22/12/2014 को प्रस्तुत हो।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

03/12/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
03/12/2014